

# उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91-9151024463

Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या-...3628/26

दिनांक ...06/05/2026

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

समस्त नर्सिंग व सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान,  
उत्तर प्रदेश।

विषय-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र/छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2026/1/575145 दिनांक 05.05.2026 एवं उसके साथ संलग्न उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के सन्दर्भ संख्या-D/26-27/0215 दिनांक 15.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में पत्र दिनांक 15.04.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि पत्र में निर्धारित प्रक्रिया को तत्परता पूर्वक पूर्ण करते हुए पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुए यह जानकारी सभी छात्र/छात्राओं तक प्रभावी रूप से पहुँचाये जाने हेतु आप अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग; व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन; चिकित्सा शिक्षा विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम; पशुधन विभाग; कृषि विभाग; कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग; आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; संस्कृति विभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; बंसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3. कुलपति,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; बाबा साहेब भोजराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; केन्द्रीय तिव्यती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी; राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमंठी; नेहरु ग्राम भारती, प्रयागराज; उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, लखनऊ; लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद, मंरठ; केन्द्रीय उच्च तिव्यती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

विषय: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 667 77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थियों का डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात लाभार्थी स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु पात्रता की सूची में आता है तत्पश्चात ही जनपद स्तर से उसका चयन कर सम्बंधित संस्थान को वितरण हेतु उपकरण प्राप्त कराया जा सकता है।

3. सूच्यनीय है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के मध्य वितरण किये जाने हेतु 25 लाख टेबलेट क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त समस्त जनपदों में टेबलेट की आपूर्ति यथाश्रीघ सम्पन्न की जाएगी। वर्तमान में दिनांक 09/04/2026 तक योजना हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा लॉकड 23,22,960 लाभार्थियों का डाटा, लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार प्रमाणीकरण

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

अप्टॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

दूरभाष - 0522-2302933 | e-mail : mdundesco@updevelopment.gov.in

किये जाने हेतु शेष है। इस स्थिति में उक्त लाभार्थियों का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा जब उन लाभार्थियों द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजीशक्ति की वेबसाइट <https://digishakti.up.gov.in> पर दिये गये लिंक के माध्यम से करा लिया गया हो।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अपने जनपद/विभाग के अतर्गत आने वाले सभी, संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुँचाये जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीया,

Digitally signed by  
Neha Jain  
Date: 13-04-2026  
17:41:30

(नेहा जैन)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, आई.टी. एव इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ।
- 3- कुलसचिव, योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
- 4- नोडल अधिकारी योजना से सम्बन्धित समस्त संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(नेहा जैन)

प्रबन्ध निदेशक

